रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102023-249160
CG-DL-E-05102023-249160

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4166] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 4, 2023/आश्विन 12 , 1945
No. 4166] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 2023/ASVINA 12, 1945

## रेल मंत्रालय

## (रेलवे बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

**का.आ. 4337(अ).—**केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप–धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii), तारीख 9 जून, 2023 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2562 (अ), तारीख 7 जून, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा बिहार राज्य के गया जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निष्पादन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप–धारा (4) के अधीन जनता से आक्षेप आमंत्रित करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, ''हिन्दुस्तान'' और ''प्रभात खबर'' में तारीख 20 जून, 2023 को प्रकाशित किया गया था;

और, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उप–धारा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार,–

(i) सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर यह घोषणा करती है कि उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी; और

(ii) यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

बिहार राज्य के गया जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिलाः गया

| क्रम सं0 | मौजा का नाम | थाना सं0 | खाता सं0 | प्लॉट/सर्वेक्षण सं0 | प्रभावित रकवा | | भूमि की प्रकृति | किस्म | भू स्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | हेक्टेयर में | एकड़ में | | | |
| 1 | गुरारू | 15 | 212 | 1509 | 0.066 | 0.164 | प्राईवेट | धनहर | मथुरा यादव और गोकुल यादव पिता–तुलसी यादव। |

[फा.सं. 2023/एलएमएल–II/12/2/ईसी/2431]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक

## MINISTRY OF RAILWAYS

### (RAILWAY BOARD)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2023

**S.O. 4337(E).—**WHEREAS by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O.2562 (E), dated 7th June, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 9th June, 2023 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution of Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Gaya in the State of Bihar;

AND WHEREAS, the substance of the said notification for inviting objections from public thereby was published in daily newspapers namely "Hindustan" and "Prabhat Khabar", dated 20th June, 2023 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

AND WHEREAS, no objections were received from the public in respect of the said notification within the specified period;

AND WHEREAS, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and in pursuance of sub-section (2), of section 20E of the said Act, the Central Government,-

(i) upon receipt of the said report of the competent authority, hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; and

(ii) hereby declares that on publication of this notification, the lands specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely upon it free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Gaya in the State of Bihar.

DISTRICT: GAYA

| Sl. No. | Name of Mouza | Thana No. | Khata Number | Plot/ Survey No. | Area | | Type of land | Nature of Land | Name of the Land Owner / Interested Persons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (In Hectare) | (In Acre) | | | |
| 1 | Guraru | 15 | 212 | 1509 | 0.066 | 0.164 | Private | Dhanhar | Mathura Yadav and Gokul Yadav S/O Tulsi Yadav. |

[F. No. 2023/LML-II/12/2/EC/2431]

PANKAJ TYAGI, Executive Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.